न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 05/2017

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री काशीराम पुत्र श्री नारायणराम पंचारिया मैसर्स श्री नारायण स्टोर करमीसर फॉन्टा गजनेर रोड़, बीकानेर
2. श्री महावीर प्रसाद पुत्र जमानाथ तापड़िया मैसर्स संदीप कुमार सुनील कुमार निवासी पूगल फांटा गजनेर रोड़ बीकानेर
3. श्री प्रकाश शर्मा पार्टनर मैसर्स लौकी इन्डस्ट्रीज करणी औद्योगिक क्षैत्र पूगल रोड़ बीकानेर
4. श्रीमती अनपूर्णा शर्मा पार्टनर मैसर्स लौकी इन्डस्ट्रीज करणी औद्योगिक क्षैत्र पूगल रोड़ बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से – श्री यशपाल तंवर अधिवक्ता
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से – श्री आशीष नाथ अधिवक्ता
4. अप्रार्थी सं. 3–4 की ओर से – श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.02.2020

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16.09.2016 को अप्रार्थी श्री काशीराम पुत्र श्री नारायण पंचारिया निवासी एफ 30/73 मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर (विक्रेता) मैसर्स श्री नारायण स्टोर करमीसर फांटा गजनेर रोड़, बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण करने पर पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) करीब 500 ग्राम के 10 नग बेचने हेतु रखा था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) 80x4 नग 500 प्रति ग्राम रूपये प्रति किग्रा के भाव से दो किलो के रूपये 320/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त प्राप्त नमूना जांच पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) 500 ग्राम के चार हल्दी पाउडर के पैकेटों पर लेबल फॉर्म जिस पर जे–1274 इन्द्राज करते हुए तैयार कर उस पर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किया व प्रत्येक पैक्ड नमूनों पर लेबल फार्म गौंद से चिपकाया। तत्पश्चात् प्रत्येक पैक्डनमूनों को एक मोटा, मजबूत, खाकी कागज में लपेट कर उसके ऊपर व नीचे से अच्छी तरह गोंद से चिपकाया व अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा जारी पेपर स्लिम सं. जे– 1274 को राउण्ड की बोटम प्रक्रिया में गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक शीशी को एक मोटा मजबूत धागा से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

कसकर बांधा व नियमानुसार ब्रॉस शील तथा सील चपड़ी से इम्पग्रेसड किया। उस परदोनों व गवाहान व विक्रेता के पेपर स्लिम को क्रॉसकरते हुए हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये व चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया। उक्त समस्त कार्यवाही की मौके पर ही फर्द मुआयना की रिपोर्ट बनायी जिसे पढ़कर पढाकर सुनाकर समझाकर दोनों गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर कराये। तत्पश्चात कार्यालय पर आकर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त सील्ड युक्त पैकेट में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/2838/Act/ 2017/515 दिनांक 18.10.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगणों को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं होने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। तदरन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीपक्ष की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक LS/2838/Act/ 2017/515 दिनांक 18.10.2016 के अनुसार इस मामले में The sample of "Haldi Powder" (Tiger) bearing Code No. and Sr. No. J-1274 of Designated Officer cum. The Chief Medical & Health Officer. Bikaner. is Misbranded food Under section 3(1)(zf)(c)(i)of FSS Act. 2006. पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा अपनी फर्म पर खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) पैक्ड पैकेटों पर लेबलिंग के सभी पैरामीटरस् को ध्यान में रख कर पैक्ड किया जाता है। हल्दी पाउडर नमूना जांच में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट इत्यादि नहीं पाई गई है। जांच रिपोर्ट में जांच के सभी पैरामीट्स सही पाये गये है। खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर की पैंकेट पर उत्पादन

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

तिथि सितम्बर 16 अंकित की गई है तथा बेस्ट बिफोर उत्पादन तिथि से 8 माह अंकित किया गया है, जो सही अंकित किया गया है। जांच में खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) पैक्ड मानव उपयोग के लिए हानिकारक नहीं है और ना ही पैंकिंग पर मिथ्या छाप संबंधी कोई सूचनाऐं अंकित होनी पायी गई । अतः अप्रार्थीगणों के प्रति नरमी का रख अपनाते हुवे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही को खारिज करने के आदेश फरमावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं संलग्न मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS/2838/Act/ 2017/515 दिनांक 18.10.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट में The sample of "Haldi Powder" (Tiger) bearing Code No. and Sr. No. J-1274 of Designated Officer cum. The Chief Medical & Health Officer. Bikaner. is Misbranded food Under section 3(1)(zf)(c)(i)of FSS Act. 2006. पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। इस प्रकार अप्रार्थीगणों के यहां पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

6. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **50,000/–** अखरे रूपये **पच्चास हजार** की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

8. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले पार्टनर के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष पार्टनर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से **रूपये 30,000/– अखरे रूपये तीस हजार** के लिए अप्रार्थी संख्या 3 व 4 (पार्टनर) को समान रूप से घोषित किया जाता है। **अर्थात अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रत्येक रूपये 15–15 हजार** की शास्ति भरने हेतु दायी होगें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

9. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में विक्रेतां एवं वितरक का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता एवं अप्रार्थी संख्या 2 वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली पैक्ड हल्दी पाउडर (टाईगर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 पार्टनर की शास्ति राशि घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति राशि रूपये **20,000/–** अप्रार्थी संख्या 1 (खाद्य कारोबारकर्ता) **एवं अप्रार्थी संख्या 2 (वितरक) समान रूप से** को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या **1 व 2 प्रत्येक रूपये 10–10 हजार** की शास्ति भरने हेतु दायी होगें। इस प्रकार शास्ति राशि 50,000/– में से अपार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 10–10 हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रत्येक 15–15 हजार रूपये शास्ति राशि भरने हेतु दायी होगें।

10. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.मौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (प्रशा) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर